



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082020-221368
CG-DL-E-27082020-221368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2545]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942

No. 2545]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

का.आ. 2872(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1833(अ) नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में एन एच 47 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 11.450 (सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा, तहसील - हरदा, जिला - हरदा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19 जून 2020" को "प्रदेश टुडे" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में NH47 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.11.450 (सक्षम प्राधिकारी (भू- अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा, तहसील - हरदा ,जिला - हरदा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: हरदा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हरदा				
	गांव का नाम: अबगाँवखुर्द				
1	227/1, 227/2, 227/5	निजी	सिंचित	0.6916	दीपक पुत्र कमल (२२७/१, २२७/२)
	गांव का नाम: हरदाखुर्द				
2	276/13	निजी	सिंचित	0.0094	नमन नाबा. पुत्र मोहनलाल संरक्षक बली आजी माँ प्रेमबाई ()
3	276/5	निजी	सिंचित	0.0096	अनिल पुत्र प्रह्लाद ()
4	276/9	निजी	सिंचित	0.1414	सुमन पत्नि संतोष ()
5	277/5	निजी	सिंचित	0.076	नारायण पुत्र शिवराम ()
6	283/3	निजी	सिंचित	0.0566	संतोष कुमार पुत्र मिश्रीलाल ()
7	287/7	निजी	सिंचित	1.6257	उत्पल पुत्र उत्तमचंद ()
8	287/8	निजी	सिंचित	0.0235	उत्तमचंद पुत्र द्वारकाप्रसाद ()
9	288/1	निजी	सिंचित	0.9158	उत्पल पुत्र उत्तमचंद ()

10	288/4	निजी	असिंचित	0.029	प्रियंका पत्नि उत्पल ()
11	288/5	निजी	असिंचित	0.029	अंशिका पुत्रि उत्पल ()
12	288/6	निजी	असिंचित	0.029	रानी पुत्रि उत्तमचंद ()
13	288/7	निजी	असिंचित	0.029	गीता पत्नि उत्तमचंद ()
	गांव का नाम: उडा				
14	284	निजी	सिंचित	0.0153	अखिलेश पुत्र शिवशंकर, सुदर्शन पुत्र शिवशंकर (२८४/१)
15	284	निजी	सिंचित	0.0153	कृष्णाबाई पुत्रि लक्ष्मीनारायण (२८४/२)
16	292/2	निजी	सिंचित	0.0055	हुसैनखा पुत्र घासीखा ()
17	328	सरकारी	असिंचित	0.963	म. प्र. शासन ()
18	329/3, 329/4	निजी	सिंचित	0.3255	गजानंद, अजयसिंह, देवीसिंह, गंभीर, पुत्र रामोतार (३२९/३)
19	329/3, 329/4	निजी	सिंचित	0.3256	गजानंद, अजयसिंह, देवीसिंह, गंभीर पुत्र रामोतार, रामोतार पुत्र शिवराम (३२९/४)
20	331/12	निजी	सिंचित	0.394	दिनेश पुत्र प्रह्लाद ()
21	331/2	निजी	सिंचित	0.3672	रनछोड पुत्र जागेश्वर ()
			कुल	6.0770	

[फा. सं. Harda-Betul/Pkg-I/Chw/13214/3A8/3D8]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th August, 2020

S.O. 2872(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1833(E) New Delhi Dated 10.06.2020 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National

Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 11.450 of NH47 (Competent Authority(Land Acquisition) and Sub Divisional Officer (Revenue) Harda,TEHSIL- HARDA, DIST.- HARDA) in the district HARDA, State MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Pradesh Today” and “*Dainik Bhaskar*” both dated 19.06.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 11.450 of NH47 (Competent Authority (Land Acquisition) and Sub-Divisional Officer (Revenue) Harda,TEHSIL- HARDA, DIST.- HARDA) in the district HARDA, State MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: HARDA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Harda				
	Viilage: AbagaonKhurd				
1	227/1, 227/2, 227/5	Private	Irrigated	0.6916	Deepak S/o Kamal 227/1, 227/2
	Viilage: Harda Khurd				
2	276/13	Private	Irrigated	0.0094	Naman naba. S/o Mohanlal Sanraksh wali Aaji Maa Prembai
3	276/5	Private	Irrigated	0.0096	Anil S/o Prahlad
4	276/9	Private	Irrigated	0.1414	Suman W/o Santosh
5	277/5	Private	Irrigated	0.076	Narayan S/o Shivram
6	283/3	Private	Irrigated	0.0566	Santosh Kumar S/o Mishrilal
7	287/7	Private	Irrigated	1.6257	Uttpal S/o Uttamchand
8	287/8	Private	Irrigated	0.0235	Uttamchand S/o Dwarkaprasad
9	288/1	Private	Irrigated	0.9158	Uttpal S/o Uttamchand

10	288/4	Private	Non Irrigated	0.029	Priyanka W/o Uttpal
11	288/5	Private	Non Irrigated	0.029	Anshika D/o Uttpal
12	288/6	Private	Non Irrigated	0.029	Rani D/o Uttamchand
13	288/7	Private	Non Irrigated	0.029	Geeta W/o Uttamchand
Viilage: Uda					
14	284	Private	Irrigated	0.0153	Akhilesh S/o Shivshankar, Sudarshan S/o Shivshankar 284/1
15	284	Private	Irrigated	0.0153	Krishanabai D/o Laxminarayan 284/2
16	292/2	Private	Irrigated	0.0055	Hussain kha S/o Ghasi kha
17	328	Government	Non Irrigated	0.963	M.P. Government
18	329/3, 329/4	Private	Irrigated	0.3255	Gajanand, Ajaysingh, Devisingh, Ghambhir S/o Ramotaar 329/3
19	329/3, 329/4	Private	Irrigated	0.3256	Gajanand, Ajaysingh, Devisingh, Ghambhir S/o Ramotaar, Ramotaar S/o Shivram 329/4
20	331/12	Private	Irrigated	0.394	Dinesh S/o Prahlad
21	331/2	Private	Irrigated	0.3672	Rachor S/o Jageshwar
			TOTAL	6.077	

[F. No. Harda-Betul/Pkg-I/Chw/13214/3A8/3D8]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.